कृषि मंत्रालय

मांग संख्या 3

पशु-पालन और डेरी कार्य विभाग

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		277.96	34.62	312.58	234.22	34.26	268.48	276.67	34.98	311.65
पूंजी		*22.04*	*...*	*22.04*	*5.78*	*...*	*5.78*	*23.33*	*...*	*23.33*
जोड़		**300.00**	**34.62**	**334.62**	**240.00**	**34.26**	**274.26**	**300.00**	**34.98**	**334.98**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	2.20	5.03	7.23	2.72	4.44	7.16	4.50	4.90	9.40
पशु पालन										
2. पशु-विकास	3601	0.05	...	0.05	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05
	3602	0.05	...	0.05	...	...	...	0.05	...	0.05
	2403	48.75	6.70	55.45	33.25	6.88	40.13	53.40	7.06	60.46
	जोड़	*48.85*	*6.70*	*55.55*	*33.75*	*6.88*	*40.63*	*53.50*	*7.06*	*60.56*
3. पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य	3601	15.80	...	15.80	18.00	...	18.00	19.30	...	19.30
	3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.55	...	0.55
	2403	44.45	...	44.45	26.56	...	26.56	39.15	...	39.15
	4403	1.20	...	1.20	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*61.95*	*...*	*61.95*	*45.06*	*...*	*45.06*	*59.00*	*...*	*59.00*
4. अन्य पशु-पालन कार्यक्रम										
4.01 सूअर-बाड़ों के विकास के लिए राज्यों को सहायता	2403	0.30	...	0.30	0.37	...	0.37	...	...	...
	3601	...	...	...	0.16	...	0.16	...	...	...
	जोड़	*0.30*	*...*	*0.30*	*0.53*	*...*	*0.53*	*...*	*...*	*...*
4.02 दाने और चारे के विकास के लिए राज्यों को सहायता	2403	0.20	...	0.20	...	...	...	...	...	...
	3601	2.40	0.09	2.49	0.37	0.09	0.46	0.50	0.09	0.59
	जोड़	*2.60*	*0.09*	*2.69*	*0.37*	*0.09*	*0.46*	*0.50*	*0.09*	*0.59*
4.03 मौजूदा बूचड़खानों और मांस इकाइयों का सुधार	3601	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
	2403	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.30	...	1.30
	जोड़	*3.00*	*...*	*3.00*	*2.00*	*...*	*2.00*	*2.80*	*...*	*2.80*
4.04 लोथ और उप-उत्पाद उपयोग संयंत्र और फ्लेंइंग यूनिट	3601	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20
	2403	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	...	...	...
	जोड़	*1.40*	*...*	*1.40*	*1.40*	*...*	*1.40*	*1.20*	*...*	*1.20*
4.05 अन्य कार्यक्रम	3601	7.72	...	7.72	8.70	...	8.70	7.92	...	7.92
	3602	0.08	...	0.08	0.10	...	0.10	0.65	...	0.65
	2403	13.09	7.91	21.00	11.94	7.80	19.74	14.41	8.08	22.49
	जोड़	*20.89*	*7.91*	*28.80*	*20.74*	*7.80*	*28.54*	*22.98*	*8.08*	*31.06*
जोड़-अन्य पशु-पालन कार्यक्रम		**28.19**	**8.00**	**36.19**	**25.04**	**7.89**	**32.93**	**27.48**	**8.17**	**35.65**
जोड़-पशु पालन		**138.99**	**14.70**	**153.69**	**103.85**	**14.77**	**118.62**	**139.98**	**15.23**	**155.21**
डेरी विकास										
5. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को अनुदान										
5.01 सहकारिताओं को सहायता	2404	14.00	...	14.00	8.00	...	8.00	14.50	...	14.50
5.02 अन्य योजनाएं	2404	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	...	...	...
	3601	0.85	...	0.85	0.85	...	0.85	0.52	...	0.52
	जोड़	*1.00*	*...*	*1.00*	*1.00*	*...*	*1.00*	*0.52*	*...*	*0.52*
6. दिल्ली दुग्ध योजना										
6.01 राजस्व व्यय	2404	...	136.00	136.00	...	118.57	118.57	...	118.57	118.57
6.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	0404	...	-136.00	-136.00	...	-118.57	-118.57	...	-118.57	-118.57
निवल		*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
6.03 पूंजी व्यय	4404	1.95	...	1.95	1.95	...	1.95	1.00	...	1.00
	जोड़	*1.95*	*...*	*1.95*	*1.95*	*...*	*1.95*	*1.00*	*...*	*1.00*
7. अन्य डेरी विकास कार्यक्रम										
7.01 नॉन-आपरेशन फ्लड, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों संबंधी समन्वित डेरी विकास परियोजना	3601	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	14.50	...	14.50
	2404	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*16.00*	*...*	*16.00*	*16.00*	*...*	*16.00*	*15.50*	*...*	*15.50*
जोड़-डेरी विकास		**32.95**	**...**	**32.95**	**26.95**	**...**	**26.95**	**31.52**	**...**	**31.52**
8. मछली पकड़ना और घाट पर लगाने की सुविधा	3601	11.50	...	11.50	8.00	...	8.00	9.50	...	9.50
	3602	0.50	...	0.50	0.40	...	0.40	0.50	...	0.50
	2405	2.27	0.84	3.11	1.75	0.86	2.61	2.00	0.90	2.90
	4405	1.05	...	1.05	0.60	...	0.60	0.30	...	0.30
	जोड़	*15.32*	*0.84*	*16.16*	*10.75*	*0.86*	*11.61*	*12.30*	*0.90*	*13.20*

(करोड़ रुपए)

		बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
9. समुद्री मत्स्य पालन	3601	27.80	...	27.80	25.80	...	25.80	15.60	...	15.60
	3602	1.05	...	1.05	1.05	...	1.05	0.90	...	0.90
	2405	17.11	8.75	25.86	19.54	8.09	27.63	23.11	8.72	31.83
	4405	17.34	...	17.34	2.77	...	2.77	21.53	...	21.53
	जोड़	*63.30*	*8.75*	*72.05*	*49.16*	*8.09*	*57.25*	*61.14*	*8.72*	*69.86*
10. अन्तर्देशीय मत्स्य पालन	3601	15.05	...	15.05	18.86	...	18.86	17.65	...	17.65
	3602	0.05	...	0.05	0.03	...	0.03	0.05	...	0.05
	2405	0.36	...	0.36	0.33	...	0.33	0.80	...	0.80
	जोड़	*15.46*	*...*	*15.46*	*19.22*	*...*	*19.22*	*18.50*	*...*	*18.50*
11. शिक्षा और प्रशिक्षण	2405	1.18	4.66	5.84	1.22	5.17	6.39	1.56	4.32	5.88
	4405	0.50	...	0.50	0.46	...	0.46	0.50	...	0.50
	जोड़	*1.68*	*4.66*	*6.34*	*1.68*	*5.17*	*6.85*	*2.06*	*4.32*	*6.38*
12. अन्य मत्स्य पालन कार्यक्रम	2405	0.10	0.64	0.74	0.10	0.93	1.03	...	0.91	0.91
जोड़ मत्स्य पालन		**95.86**	**14.89**	**110.75**	**80.91**	**15.05**	**95.96**	**94.00**	**14.85**	**108.85**
13. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजना/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	30.00	...	30.00	25.57	...	25.57	30.00	...	30.00
कुल जोड़		***300.00***	***34.62***	***334.62***	***240.00***	***34.26***	***274.26***	***300.00***	***34.98***	***334.98***
ग. आयोजना परिव्यय*-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजना										
1. पशु पालन	12403	138.99	...	138.99	103.85	...	103.85	139.98	...	139.98
2. मत्स्य पालन	12405	95.86	...	95.86	80.91	...	80.91	94.00	...	94.00
3. डेरी विकास	12404	32.95	...	32.95	26.95	...	26.95	31.52	...	31.52
4 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	2.20	...	2.20	2.72	...	2.72	4.50	...	4.50
5. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	30.00	...	30.00	25.57	...	25.57	30.00	...	30.00
जोड़		***300.00***	***...***	***300.00***	***240.00***	***...***	***240.00***	***300.00***	***...***	***300.00***

1. इसमें पशुपालन और डेरी कार्य विभाग के सचिवालय, मुख्यालय में नेटवर्क-आधारित सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय पशु आयोग के स्थापना संबंद्ध व्यय के लिए व्यवस्था है। इसमें आयोजना के अधीन छ: महीने के लिए पशु संगरोध और प्रभावीकरण सेवा केंद्र का स्थापना व्यय भी शामिल है।

2. यह प्रावधान पशु और भैंस प्रजनन कार्यक्रम की राष्ट्रीय परियोजना और केंद्रीय पशु विकास संगठनों, जिसमें सात केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, केंद्रीय प्रशीतित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान और देश में विभिन्न केंद्रों में अवस्थित हर्ड रजिस्ट्रेशन संगठन शामिल हैं, के लिए किया गया है।

3. यह प्रावधान पशुधन स्वास्थ्य, जिसमें पशु रोग के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता की योजना, रिंडरकीट उन्मूलन पर राष्ट्रीय परियोजना, व्यावसायिक दक्षता विकास (जिसके अधीन भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों को सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाता है) और पशु स्वास्थ्य महानिदेशालय शामिल हैं, के लिए है। पशु स्वास्थ्य महानिदेशालय के लिए छ: महीने के लिए बजट प्रावधान रखा गया है।

4.02 यह प्रावधान दाना और चारा उत्पादन संवर्धन कार्यक्रम की नई योजना के लिए है।

4.03-4.04 इन योजनाओं के अंतर्गत बूचडखानों के आधुनिकीकरण और स्वच्छ मांस के उत्पादन हेतु लोथ उपयोग केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिए है। बूचड़खानों के लिए राज्यों और केंद्र के बीच व्यय का हिस्सा 50 : 50 के अनुपात में और लोथ केंद्र के मामले में राज्यों की शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी।

4.05 इस मद के अंतर्गत, पांच मौजूदा योजनाओं (राज्य मुर्गी/बत्तख फार्म के लिए सहायता, एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, केंद्रीय चारा विकास संगठन तथा केंद्रीय मुर्गीपालन विकास संगठन तथा केंद्रीय मुर्गीपालन विकास संगठन) तथा दो नई योजनाओं पशुपालन कार्यक्रम का आधारभूत ढांचा तैयार करना तथा पशु प्रजनन; जो संकट में हैं तथा जुगाली करने वाले और माल ढोने वाले छोटे पशुओं के संरक्षण के लिए प्रावधान रखा गया है।

5.01 इस योजना का लक्ष्य जिला स्तर की रुग्ण डेरी सहकारी यूनियनों, तथा राज्य स्तर के सहकारी संघों का पुनरुत्थान करना है। यह योजना राज्य सरकारों के साथ 50 : 50 के अनुपात के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है।

5.02 इस मद के अंतर्गत दो नई योजनाओं (डेरी/मुर्गीपालन उपक्रम पूंजी निधि तथा गुणवत्ता और स्वच्छ दूध के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रावधान रखा गया है।

6.01 और 6.02 आयोजना-भिन्न के अधीन दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना संबंधी व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की गई हैं। प्रारंभिक तौर पर इस व्यय को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त बजट प्रावधान से पूरा किया जा रहा है तथा बाद में उसी को दूध, घी आदि की बिक्री से राजस्व प्राप्ति के रूप में वापस प्राप्त किया जाता है। इसलिए बजट में से कोई निवल नकद व्यय नहीं होगा।

6.03 इसके अंतर्गत दिल्ली दुग्ध योजना के लिए छ: महीनों की अवधि के पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान रखा गया है।

7.01 इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं के विकास, तकनीकी निविष्टि सेवाएं प्रदान करने तथा दूध की अधिप्राप्ति/संसाधन/विपणन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

8. इस मद के अंतर्गत दो योजनाओं (अवसंरचनात्मक और फसल-पश्च कार्यों के विकास तथा केंद्रीय तटीय मत्स्य इंजीनियरी संस्थान) के लिए प्रावधान रखा गया है। पहली योजना के अंतर्गत मछलीमार घाट की स्थापना, यंत्रचालित मछलीमार नौकाओं के रुकने के स्थान संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा मत्स्य विपणन अवसंरचना जैसे शीत भंडार, बर्फ संयंत्र, मछली फुटकर बिक्री केंद्र आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। दूसरी योजना विभाग के संस्थान के लिए है, जिसके लिए संस्थान संबंधी व्यय के लिए बजट प्रावधान रखा गया है।

9. इसके अंतर्गत चार योजनाओं (समुद्री मछलीपालन विकास, ड्रेजर का रख-रखाव, मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा दो मत्स्यपालन संस्थानों - भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षण तथा एकीकृत मत्स्य परियोजना) को सहायता प्रदान करने के लिए प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान में भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षण के लिए मछली पकड़ने वाले दो पोतों की खरीद के लिए आवश्यक राशि भी शामिल है।

10. इस मद के अंतर्गत अंतर्देशीय जलचर पालन तथा मत्स्य पालन के विकास के लिए प्रावधान रखा गया है, ये योजनाएं ताजा जल जलचर पालन तथा एकीकृत तटीय जलचर पालन के विकास संबंधी दो मौजूदा योजनाओं का संशोधित रूप हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत एक नई योजना (डाटाबेस और सूचना नेटवर्क को सुदृढ़ करना) के लिए भी धनराशि शामिल है।

11. इसके अंतर्गत केंद्रीय मत्स्यपालन नाटिकल इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन तथा विशाखापत्तनम और चेन्नई में स्थित इसकी दो शाखाओं की स्थापना संबंधी व्यय के लिए प्रावधान रखा गया है। इन संस्थानों द्वारा मछली पकड़ने वाले पोतों की जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

12. आयोजना-भिन्न के अंतर्गत यह प्रावधान जलचर पालन प्राधिकरण, चेन्नई तथा इसकी दो विभागीय कैंटीनों की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। इस प्रावधान में पशु प्रजनन तथा स्वास्थ्य आयोग तथा अन्य के लिए भारत का अंशदान भी शामिल है।

13. इसके अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं और योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।